कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1970 के नियम 24(3) के अनुरूप वर्ष 2019–20 की रिक्तियों के विरूद्ध आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की कार्यवाही में की गई अनुशंषाओं के आधार पर कार्मिकों का चयन किये जाने पर इस कार्यालय के आदेश क्रमांकः– शिविरा/माध्य/संस्था–एबी/बी–II/डीपीसी/प्रधानाचार्य/2019–20 (नियमित) दिनांक 24.05.2019 द्वारा चयन किये जाने के उपरान्त इस कार्यालय के आदेश क्रमांकः– शिविरा/माध्य/संस्था–एबी/बी–II/45002/प्रधानाचार्य/डीपीसी–2019–20/वो–I/2019/1–395 दिनांक 25.10.2019 द्वारा अपिलार्थी सत्यवृत यादव का पदस्थापन राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय, सुहागपुरा, पीपलखूंट, जिला प्रतापगढ़ में प्रधानाचार्य के पद पर किया गया। जिसके विरूद्ध अपिलार्थी सत्यवृत यादव ने माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 4780/2019 दायर की गई है।

अपील संख्या 4780/2019 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.01.2020 द्वारा अपीलार्थी को अपील में वर्णित आधारों के मध्यनजर प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष 5 रिक्त पद दर्शाते हुए दिनांक 07.02.2020 तक अपना अभ्यावेदन पेश करने और प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा उपर्युक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे विधि अनुसार माननीय अधिकरण द्वारा पारित निर्णय एवं राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) प्रसारित करते हुए 15 दिवस में निस्तारित करने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए।

माननीय अधिकरण निर्णय के क्रम में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में स्वंय की पारिवारिक परिस्थितियों एवं पत्नी के ह्रदय रोग से पीड़ित होने को मद्देनजर रखते हुए अपना पदस्थापन राउमावि कोहराना, राउमावि खोहर, राउमावि डूमरोली, राउमावि सैंथली काबास, राउमावि सुनहेरा, जिला अलवर में पदस्थापित किये जाने की मांग की गई।

अपीलार्थी के अभ्यावेदन का माननीय अधिकरण के निर्णय एवं राज्य सरकार एवं विभाग के दिशा–निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया। राज्य सरकार एवं विभाग द्वारा राज्य सेवा के अधिकारी को प्रशासकीय आवश्यकता, विभागीय प्राथमिकता, छात्र एवं राज्य हित में राज्य में कहीं पर भी पदस्थापित किया जा सकता है। यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि इच्छित स्थान पर पदस्थापन की मांग अधिकारपूर्वक नहीं की जा सकती।

उपर्युक्त परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए अपीलार्थी श्री सत्य व्रत यादव द्वारा की गई मांग नियमानुकूल नहीं होने के कारण उनका अभ्यावेदन एतद्द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था–एबी/बी–2/सत्य व्रत/4780/2019 दिनांकः 28/02/2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, उदयपुर संभाग, उदयपुर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, प्रतापगढ।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, प्रतापगढ।
6. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, प्रतापगढ।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. श्री सत्य व्रत यादव, स्थानान्तरणाधीन प्रधानाचार्य।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)